सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 34 राँची, शुक्रवार, 12 जनवरी, 2024 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

12 जनवरी, 2024

विषय: **माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S) No. 277 of 2018 & I.A. No. 5211 of 2018 Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi , एवं W.P.(S) No. 461 of 2018 Shankar Prasad Keshri , एवं W.P.(S) No. 3961 of 2018 & I.A. No. 10403 of 2018 Kubernath Rai बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य, L.P.A. No. 169 of 2020, The State of Jharkhand v/s The Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & others एवं Cont. Case (Civil) No. 247 of 2020 (Shankar Prasad Keshari & Ors. Versus The State of Jharkhand & Ors.) With Cont. Case(Civil) No. 382 of 2020 (Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & Anr.) With W.P.(S) No. 886 of 2021 (Nehal Khan Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4422 of 2021 (Manu Prasad Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4434 of 2021**

(Bishwanath Prasad Jaiswal Versus The State of Jharkhand & Ors.) मे पारित न्यायादेश के अनुपालन में कैडर विभाजन के फलस्वरूप झारखण्ड राज्यान्तर्गत 791 राज्य पथ परिवहन निगम के समायोजित निगम कर्मियों को निगम में कार्यरत/धारित पद के अनुमान्य वेतनमान (Pay Scale) में समायोजित होने की तिथि अर्थात् दिनांक-01-07-2004 के प्रभाव से राज्य सरकार में प्रभावी/लागू धारित पद के लिए समतुल्य वेतनमान में वेतनादि एवं अन्य देय पावनाओं के भुगतान के स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-परि.वि.(परि.नि.)-01-01/23-60--झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित वाद (Civil Appeal No.-7290/1994) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने तथा बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के संबंध में समझौता हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार पुर्नगठन अधिनियम की धारा 62(3) के उपबंधों के अध्याधीन अधिसूचना संख्या-1127, दिनांक-18-12-2003 एवं अधिसूचना संख्या-54, दिनांक-14-01-2004 द्वारा दिनांक-30-06-2004 के प्रभाव से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विघटन एवं दोनों राज्यों के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के बँटवारा संबंधी शर्त्तों एवं प्रावधानों को इंगित किया गया है। इसी प्रसंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) श्री सगीर अहमद की अध्यक्षता में गठित विवाचक समिति (Arbitration Committee) के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो उभय पक्षों को मान्य था। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-7290/1994 में पारित आदेश दिनांक-12.08.2008 में विवाचक समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उसमें सन्निहित अनुशंसाओं को यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 में दिनांक-24.08.2011 को पारित न्यायादेश में अंकित है कि "**In paragraph 9 of the report, it averred as under. It is stated and submitted that all the employees have been getting regular salaries and up (Sic) February, 2011, there is not (Sic) due".**

"We read the aforesaid paragraphs to mean that all the employees of the Corporation, who were allocated to the State of Jharkhand have been duly absorbed in the service of the State Government there".

इस निर्णयादेश के क्रम में राज्य सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक Modification Application I.A. No.- 32/2012 दायर किया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-05.10.2012 को पारित आदेश से निरस्त कर दिया गया। दिनांक-24.08.2011 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण Jharkhand State Road Transport Employees Association तथा अन्य कर्मियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या-203/2012, 229/2013, 359/2013 एवं 431/2013 दायर किये गये। सभी अवमाननावादों को पूर्व से दायर Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P(Civil) No.-337/2001 Virendra Sharma Vrs R.S.Sharma & Ors के साथ सम्मिलित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-07.04.2015 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है-

"It is not in dispute that the Petitioners have been absorbed with effect from 24th August 2011 and their dues have been paid and in some of the instances is in the process of being paid keeping the date of absorption in mind".

उक्त आदेश के साथ सभी Contempt Petitions एवं I.A. को निरस्त कर दिया गया ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अवमाननावादों तथा दिनांक-24.08.2011 को पारित आदेश को दृष्टिपथ में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा निगम कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में समायोजित करने की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए विभिन्न संकल्पों/आदेशों के माध्यम से विभिन्न चरणों में यह कार्रवाई पूर्ण की गई है, जिसका विवरण निम्नरूपेण है:- बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से सेवा प्राप्त कुल 1124 कर्मियों में से दिनांक-24.08.2011 को झारखण्ड राज्य में 791 कर्मी कार्यरत थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में कार्यरत सभी 791 कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में परिवहन विभाग के निम्नांकित विभिन्न संकल्पों/आदेशों द्वारा निम्न रूपेण समायोजित किया गया है:-

(क) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-20.05.2013 में लिए गये निर्णय के आलोक में परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-598, दिनांक-06.06.2013-सह-गजट संख्या-362 दिनांक-07.06.2013 द्वारा दिनांक-01 मार्च, 2013 को कार्यरत 609 कर्मियों की नियुक्ति(समायोजन) हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए राज्य सरकार की सेवा में रिक्त पदों के लिए विहित अहर्ता यथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाले कुल 340 कर्मियों को विभिन्न विभागों/कार्यालयों में परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-127-133, दिनांक-31.10.2013 द्वारा नियुक्ति (समायोजित) किया गया ।

(ख) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-25.08.2014 में लिए गये निर्णय के आलोक में असमायोजित वैसे निगम कर्मियों जो विहित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते थे उनके मामले में विहित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित उम्र को शिथिल करने का निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग द्वारा संकल्प संख्या-714, दिनांक-27.08.2014-सह-गजट संख्या-406, दिनांक-28 अगस्त, 2014 निर्गत किया गया। इस संकल्प के आलोक में परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-104, दिनांक-29.08.2014 एवं आदेश संख्या-105, दिनांक-01.09.2014 द्वारा कुल 203 कर्मियों की नियुक्ति (समायोजन) किया गया ।

(ग) पुनः श्री तपेश कुमार सिंह, Standing Counsel, Hon'ble Supreme Court से प्राप्त मंतव्य के आलोक में परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-132, दिनांक-14.02.2015- सह-गजट संख्या-94, दिनांक-18 फरवरी, 2015 द्वारा विहित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित उम्र को आवश्यकतानुसार क्षान्त करते हुए दिनांक-24.08.2011 को निगम में कार्यरत कुल 248 कर्मियों को सेवानिवृति के उपरांत भी राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति(समायोजन) की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-03.03.2015 में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। इन 248 कर्मियों को 24.08.2011 की तिथि से समायोजित किया गया ।

3. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-03.03.2015 में घटनोत्तर स्वीकृति हेतु लिये गये निर्णय में यह अंकित किया गया है कि "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय में सन्निहित निर्देशों को अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। चूँकि यह मामला समायोजन का है, न कि नई

नियुक्ति का, अतः संबंधित कर्मियों को सेवा में समायोजित करते हुए अनुमान्य वेतनादि एवं अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय ।"

उक्त निर्णय के आलोक में परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-273, दिनांक-09.03.2015-सह-गजट संख्या-158, दिनांक-12 मार्च, 2015 द्वारा राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मियों के नियुक्ति (समायोजन) हेतु निर्गत सभी पूर्व संकल्पों के आलोक में निर्गत तत्संबंधी कार्यालय आदेशों में निर्गत "नियुक्ति" संबंधी शब्द को विलोपित करने का निर्णय लिया गया तथा सभी कर्मी को सेवा में "समायोजित" समझे जाने एवं इनके अनुमान्य वेतनादि अन्य लाभों के भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मंत्रिपरिषद के उक्त निर्णय के आलोक में पुनः संकल्प संख्या-480, दिनांक-04.04.2016 द्वारा परिवहन विभाग के पूर्व निर्गत संकल्प गजट संख्या-362, दिनांक-07.06.2013 एवं संकल्प गजट संख्या-406, दिनांक-28.08.2014 के द्वारा समायोजित कर्मी भी दिनांक-24.08.2011 से ही राज्य सरकार की सेवा में समायोजित समझे जायेंगे संबंधी निर्णय लिया गया है ।

4. निगम कर्मियों के समायोजन के संबंध में निर्गत प्रथम संकल्प संख्या-598, दिनांक-06 जून, 2013-सह-गजट संख्या-362, दिनांक-06 जून, 2013 में निम्नांकित निर्णय लिये गये थेः-

चतुर्थ संकल्प संख्या-273, दिनांक-9 मार्च, 2015-सह-गजट संख्या-158, दिनांक-12 मार्च, 2015 द्वारा सभी संकल्पों/आदेशों में निर्गत नियुक्ति शब्द को विलोपित करने का निर्णय लिया गया तथा सभी कर्मी को सेवा में समायोजित समझे जाने एवं अनुमान्य वेतनादि लाभों का भुगतान करने का निर्णय लिया गया ।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायादेशों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर S.L.P.(C) No.-20636-37/2022 The State of Jharkhand and Others v/s Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation & Ors. में दिनांक-03.03.2023 को पारित न्यायादेश *"In that view of the matter, and particularly when these petitions are being dismissed today, we deem it just and appropriate to grant further time to the petitioners to carry out complete compliance. For that matter, the petitioners are granted further time to carry out compliance within four months from today. For what has been provided hereinabove, we would request the High Court to keep the proceedings in the pending contempt matter in abeyance for a period of four months so as to give the petitioners adequate time to carry out complete compliance and any requirement of personal presence of the officers concerned may be dispensed with. It would be required of the petitioners to report compliance to the High Court within four months from today. Subject to the relaxations and requirements foregoing, these petitions stand dismissed. Pending applications also stand disposed of."* उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं॰-122, दिनांक-14.02.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-766, दिनांक-14.07.2023 द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया थाः-

(i) 791 समायोजित निगम कर्मियों की पूर्व की सेवा की गणना वैचारिक रूप से करते हुए सभी सेवांत लाभों का भुगतान वास्तविक रूप से दिनांक-01.07.2004 से किया जाएगा ।

(ii) सभी समायोजित निगम कर्मियों का सेवांत लाभ यथा उपार्जित अवकाश के बदले 300 दिनों का नकद भुगतान की गणना दिनांक-01.07.2004 से किया जाएगा ।

6. दिनांक-03.11.2023 माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा Cont. Case (Civil) No.-247/2020-सह-सम्बद्ध Cont. Case (Civil) No.-382/2020-सह-Cont. Case (Civil) No.-394/2020-सह-W.P.(S) No.-7417/2017-सह-W.P.(S) No.-886/2021-सह-W.P.(S) No.-4422/2021 एवं W.P.(S) No.-4434/2021 मामले में सुनवाई के क्रम में निम्नांकित Observation (कण्डिका-5) दिये है:-

"On persual of the order dated 19.12.2019 passed in W.P.(S) No.-277 of 2018 and other analogous cases particularly paragraph no.-21 of the same, it is evidently clear that pension of the petitioners was required to be fixed taking into consideration the past services rendered by them, meaing thereby that if they were having particular salary structure when their service was to placed in the State of Jharkhand, the said salary structure was to continue with addition of increment (if any), till they retired from servise."

7. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिया गया है:-

सभी समायोजित राज्य पथ परिवहन निगम कर्मियों का वेतन निर्धारण निगम (BSRTC) में धारित पद के वेतनमान (Pay Scale) में प्राप्त वेतन (वेतनवृद्धि प्रक्रम सहित) झारखण्ड सरकार के अंतर्गत समायोजित होने की तिथि यथा दिनांक-01.07.2004 के प्रभाव से राज्य सरकार में प्रभावी/लागू धारित पद के लिए अनुमान्य होगा ।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति परिवहन विभाग के संलेख ज्ञापांक-47, दिनांक-09.01.2024 के क्रम में दिनांक-09.01.2024 की बैठक में मद सं॰-34 के रूप में दी गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सचिव
परिवहन विभाग ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 34 - 50